कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून
जनपद देहरादून

पत्रांकः– 534 दिनांकः– 08/06/2022

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातिय व्यक्ति एंव पारम्परिक वननिवासी हेतुं गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 08/06/2022 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलास्तरीय समिति प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटरमार्ग के निर्माण का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **4.2200 हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि** वन विभाग से ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैरवानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्राम सभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों से सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एंव संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उप जिलाधिकारी–देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **4.2200 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के मसूरी रेंज नाली क0स0–2 के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उप जिलाधिकारी – देहरादून की बैठक का कार्य वृत्त संलग्न हैं।

जिला समाजकल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वनप्रभाग मसूरी प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी	जिलाधिकारी देहरादून जिलाधिकारी देहरादून

पृ0स0 /दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई सि0ख0, देहरादून

जिलाधिकारी, देहरादून

प्रपत्र–23.3

कार्य का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–5.500 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटर मार्ग के **नवनिर्माण** हेतु **4.220 है0** वनभूमि ग्राम्य विकास विभाग, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापित्त प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नही हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहें है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

ह0.....
जिलाधिकारी, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

FORM-I

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector

No. 534 Dated. 08/06/2022

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forest (MoEF), government of India's letter No. 11-9/98-FC(pl) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled tribes and Other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) act,2006('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects it certified that **4.2200** hectares of forest land proposed to be diverted in favor of **Rural Development Department Uttarakhand** for New **Road Construction in Dehradun** district falls within jurisdiction of **Naliwala** Village in **Dehradun tehsil.**

It is further certificated that:

(a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire **4.2200** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s). Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure .....

(b) The Division of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

जिलाधिकारी
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT – DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006.

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Dr. R. Rajesh Kumar, I.A.S. District Magistrate on Dated 18.06.22 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in Mail area measuring **4.220 Hect** for the Construction of **Construction of Sahastrdhara-Naliwala** Motor Road under PMGSY of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub Division level Committee of **Dehradun** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After Scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/ claims were found to have been made & hence District level Committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:

Dated:

District Magistrate
District level Committee

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
पी.एम.जी.एस.वाई.,
सिंचाई खण्ड, देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

प्रपत्र– 23.2

कार्य का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा –नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–5.500 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, – देहरादून

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, रायपुर

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटर मार्ग हेतु (आरक्षित वनभूमि 4.2200 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 4.2200 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग / प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–देहरादून) की दिनांक 04/01/2022 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (व अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ...... मनीष कुमार..., उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1 श्री.....मनीष कुमार.....उपजिलाधिकारी.........सदर.......... अध्यक्ष
2 श्री.....सुभाष चन्द्र......उप प्रभागीय वनाधिकारी.....मसूरी वन प्रभाग........ सदस्य
3 श्री मीनाक्षी.........सहायक समाज कल्याण अधिकारी.............सदस्य / सचिव
4 श्री .....निर्मला देवी.......बी0डी0सी0 क्षेत्र ......[illegible]........ सदस्य Nirmala

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य** परियोजना हेतु **4.220 है0 वन भूमि (4.220 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) ग्राम्य विकास विभाग,** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम,

2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी हैं अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **देहरादून** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य** परियोजना के निर्माण हेतु **4.2200 है0** वन भूमि **(4.2200 आरक्षित वन भूमि, 0.00 है0 सिविल सोयम भूमि एवं 0.00 है0 वन पंचायत भूमि) ग्राम्य विकास विभाग,** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद–देहरादून

<u>प्रतिलिपिः–</u> जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद–देहरादून

क्षेत्र पंचायत सदस्य 20
ह0
दि0
वि0ख0 रायपुर, देहरादून

प्रपत्र–23

<u>कार्य का नाम</u> :– <u>प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।</u>

(लम्बाई–5.500 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– नालीकला

तहसील– देहरादून जिला देहरादून

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। मोटर मार्ग के नवनिर्माण परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित वनभूमि 4.2200 है0, सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0 अर्थात कुल वन भूमि 4.2200 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण ग्राम्य विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत **नालीकला** द्वारा दिनांक 04/01/2022 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नही। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नही हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम नालीवाला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियेाजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एंव सही है।

श्री नरेन्द्र सिंह रावत

ग्राम सचिव

ग्राम प्रधान नालीकला

ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत नालीकला
वि0ख0 रायपुर, देहरादून

प्रपत्र–23.1

दिनांक – 04/01/2022 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम– नालीकला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	प्रेमसिंह जवाड़ी पूर्व उपप्रधान	प्रेमसिंह सुरेश सिंह
2	सुरेश सिंह	गम्भीर सिंह
3	मदनसिंह	मदन सिंह
4	सन्दीप सिंह	सन्दीप सिंह
5	रतनसिंह	रतनसिंह
6	रोहित सिंह	
7	अनील सिंह	Rohit
8	दिनेश सिंह जवाड़ी	[illegible]
9	धनसिंह जवाड़ी	दिनेश जवाड़ी
10	जयवीर सिंह जवाड़ी	जयवीर सिंह
11	चन्दनसिंह जवाड़ी	धनसिंह चन्दनसिंह
12	बैताल सिंह पयाल	बैतालसिंह रायसिंह
13	इतवार सिंह पयाल	सुनीता इतवारसिंह
14	विक्रमसिंह जवाड़ी	अकला विक्रमसिंह
15	दीपा मिस्त्री	सुभाष
16	प्रेमसिंह पयाल	प्रेम सिंह
17	महावीर सिंह	महावीर
18	भरतसिंह पयाल	भरतसिंह (र[illegible])
19	श्यामलाल	
20	सुमती मिस्त्री	र स [illegible]

(21) जगदीशपयाल [signature]

(22) चतरसिंहपयाल [signature]

(23) [illegible] सिंह पयाल

(24) सुन्दरसिंहपयाल [signature]

हरनामसिंह

[illegible]

चन्दनसिंह

दीपक

(प्रपत्र–30)

कार्य का नाम :– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई–5.500 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, सहस्त्रधारा–नालीवाला मोटर मार्ग निर्माण हेतु कुल 4.2200 है0 वन भूमि प्रस्तावित है। जिसमें आरक्षित वन भूमि (मोटर मार्ग एवं मक डम्पिंग हेतु) 4.2200 है0, वन पंचायत भमि 0.00 है0 एवं सिविल भूमि 0.00 है0 प्रयोक्ता एजेन्सी को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 05/02/2006 के द्वारा सड़क निर्माण, नहर निर्माण, पारेषण लाईन, आं0एफ0सी0 केबिल, पाईप लाईन बिछाने आदि प्रयोजनों को भारत सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों से मुक्त कर दिया गया है। भारत सरकार के उक्त उक्त आदेश के क्रम में प्रमाणित किया जाता है कि आवेदित भूमि परियोजना विशेष के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि व कृषि भूमि पर आदिकालीन जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व पूर्व कृषि समुदाय (Primitive Agricultural Groups) प्रभावित नहीं हो रही है।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0
देहरादून

जिला समाज कल्याण अधिकारी
देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

जिलाधिकारी
देहरादून